15

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in Website :www.irgyurban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21509 – 748 दिनांक : 03/10/2023

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अनुमोदित दिशा–निर्देशिका (Guide line) के बिन्दु संख्या 15 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा कराये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 माह के अन्तराल में एक वार आवश्यक रूप से किया जाना है। योजनान्तर्गत करवाये गये / करवाये जा रहे कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण करवाना योजनान्तर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही है।

सामाजिक अंकेक्षण के लिये वार्डो में निकायों एवं लाईन विभाग के द्वारा करवाये गये / कराये जा रहे कार्यो का विस्तृत विवरण वित्त समिति की बैठक के दौरान आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। निकाय स्तर पर वरिष्ठतम अभियंता के द्वारा वित्त समिति की बैठक के दौरान प्रत्येक कार्य की अलग–अलग पत्रावली जिसमें कार्य से संबंधित निम्न दस्तावेजों को सम्मिलित कर पत्रावली के साथ उपस्थित रहेंगे:–

1. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना अनुसार कार्यो की सुची मय अनुमानित लागत।
2. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति।
3. विस्तृत तकमीना (मय आवश्यक वास्तविक श्रम व सामग्री की गणना) की प्रति।
4. तकनीकी स्वीकृति की प्रति।
5. संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रति (यदि कोई प्राप्त की गई हो)।
6. संशोधित तकनीकी स्वीकृति की प्रति (यदि कोई प्राप्त की गई हो)।
7. मस्टरोल की प्रतियां।
8. माप पुस्तिका की प्रति मय मूल्यांकन रिपोर्ट।
9. समस्त बिल वाउचर्स की प्रतियां।
10. उपयोगिता प्रमाण पत्र / पूर्णता प्रमाण पत्र (फोटो सहित)
11. अन्य कोई शिकायत / आपत्ति आदि का विवरण एवं नगरीय निकाय द्वारा की गई कार्यवाही की पत्रावली।
12. कार्य के संबंध में निकाय के सक्षम प्रशासनिक, तकनीकी अधिकारी एवं लेखाधिकारी द्वारा विभागीय पत्रांक 2354 दिनांक 22.02.2023 एवं पत्रांक 11367–11606 दिनांक 01.05.2023 की पालना रिपोर्ट (प्रति संलग्न)।

वित्त समिति के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों / अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण को अंकित किया जाकर संबंधित आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी के द्वारा सुरक्षित पत्रावली में संधारित किया जावेगा तथा वित्त समिति को अंकित कमियों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अनुपालना रिपोर्ट, वित्त समिति को प्रस्तुत करेंगे।

अतः वित्तीय वर्ष 2022–23 की अवधि 09.09.2023 से 31.03.2023 एवं 01.04.2023 से 30.09.2023 तक कराये गये / प्रगतिरत / पूर्ण कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण वित्त समिति के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करावें। समिति द्वारा किये गये सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही रिपोर्ट की प्रति (PDF / SOFT) परियोजना निदेशक (IRGY) को ई–मेल : irgyurban.lsg@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ. 56 (क)()सीई / डीएलबी / IRGY(U)/2023–24 / 21749 – 21812 दिनांकः 03/10/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक (IRGY) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY) समस्त राजस्थान।
6. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त को भिजवाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
7. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (IRGY)